सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1259/MH/46/2023-RO-BH/RU-I **दिनांक: 28.04.2026**

कलेक्टर व जिलाधिकारी,
जिला-ठाणे,
प्रथम तल, कलेक्टर कार्यालय, कोर्ट नाका,
ठाणे पश्चिम-400601, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.thane@maharashtra.gov.in

आयुक्त,
मिरा भाइंदर महानगरपालिका,
इन्दिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,
पश्चिम, मिरा भाइंदर,
ठाणे-401101 महाराष्ट्र
ई-मेल: commissioner@mbmc.gov.in

विषय: श्री शंकर शनिवार पागी को धोंड्ला तालाब का मालिकाना हक प्रदान करने हेतु श्री महादेव लक्ष्मण भूयाल, अध्यक्ष, स्थानिक आदिवासी रहिवासी सेवा मंडल, लक्ष्मी-चिराग नगर, पोखरण रोड नं.1, पो.जे.के.ग्राम, जिला- ठाणे (महाराष्ट्र) से प्राप्त दिनांक 12.01.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 23.02.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री महादेव लक्ष्मण भूयाल,
अध्यक्ष, स्थानिक आदिवासी रहिवासी सेवा मंडल,
लक्ष्मी-चिराग नगर,
पोखरण रोड नं.1, पो.जे.के.ग्राम,
जिला- ठाणे (महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-1259/MH/46/2023-RO-BH
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

श्री शंकर शनिवार पागी को धोंड्ला तालाब का मालिकाना हक प्रदान करने हेतु श्री महादेव लक्ष्मण भूयाल, अध्यक्ष, स्थानिक आदिवासी रहिवासी सेवा मंडल, लक्ष्मी-चिराग नगर, पोखरण रोड नं.1, पो. जे.के.ग्राम. जिला- ठाणे (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 12.01.2023 पर दिनांक 23.02.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि: 23.02.2026
सिटिंग की अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय
उपस्थित अधिकारी/प्रतिभागी: (अनुलग्नक-I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री महादेव लक्ष्मण भूयाल, अध्यक्ष, स्थानिक आदिवासी रहिवासी सेवा मंडल, लक्ष्मी-चिराग नगर, पोखरण रोड नं. 1, पो. जे.के. ग्राम, ठाणे (महाराष्ट्र) से एक अभ्यावेदन दिनांक 12/1/2023 प्राप्त हुआ है। अभ्यावेदन में बताया गया है कि श्री शंकर शनिवार पागी के पिता स्व. शनिवार धोंडू पागी की मृत्यु दिनांक 17.08.1999 को हो गई थी। ग्राम पंचायत काशी, ठाणे द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि धोंड्ला तालाब पाडा की सीमा में स्थित धोंड्ला तालाब का उपयोग स्व. शनिवार बेंडू पागी द्वारा मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। जांच के उपरांत उक्त तालाब पर उनका अधिभोग अधिकार पाया गया था। अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्व. शनिवार पागी अशिक्षित होने के कारण आगे की विधिक कार्रवाई नहीं कर सके। उनके पश्चात उनके पुत्र श्री शंकर शनिवार पागी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे के कार्यालय के पत्र क्र. भूमि सर्वेक्षण जा.सं. 155/17 दिनांक 24.01.2017 के अनुसार मौजे काशी में सर्वे नं. 86-54-20 के समीप उक्त तालाब स्थित है। आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त भूमि/तालाब का सर्वेक्षण कराकर अभिलेखों में श्री शंकर शनिवार पागी का नाम प्रविष्ट किया जाए।

उक्त अभ्यावेदन पर दिनांक – 20/1/2023 को जिला कलेक्टर, ठाणे को नोटिस जारी किया गया। जिसके क्रम में जिला प्रशासन से प्राप्त प्रतिवेदन में अवगत कराया गया है कि संबंधित भूमि (S.S. No. 406) सरकारी भूमि है तथा मीरा-भायंदर नगर निगम के स्वीकृत विकास योजना के अनुसार उक्त भूमि रिजर्वेशन नं. 364 के अंतर्गत पार्क/पब्लिक फैसिलिटी के लिए आरक्षित है। प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं होता कि तालाब का वर्तमान में

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

वास्तविक कब्जा या उपयोग आवेदक द्वारा किया जा रहा है। साथ ही, नगर निगम के टाउन प्लानिंग विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा कब्जा एवं प्रबंधन संबंधी मांग स्वीकार्य नहीं पाई गई है।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख:

प्रकरण में पूर्व में दिनांक 19.11.2025 एवं 18.12.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई थी। तथापि, उक्त दोनों तिथियों पर संबंधित विभाग से कोई भी प्राधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण सुनवाई सम्पन्न नहीं हो सकी। इसके उपरान्त दिनांक - 23.02.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सिटिंग आहूत की गई।

सुनवाई तिथि को जिला कलेक्टर, ठाणे के प्रतिनिधि श्री नीलेश प्रकाश गौड, अपर तहसीलदार तथा याचिकाकर्ता श्री राजू पांढरा उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर, ठाणे कार्यालय द्वारा लिखित प्रतिवेदन दिनांक 20/2/2026 प्रस्तुत करते हुए आयोग को सुनवाई के दौरान अवगत कराया गया कि सिटी सर्वे नं. 406 की भूमि शासकीय भूमि है तथा मीरा-भाईंदर महानगरपालिका की विकास योजना में आरक्षण क्र. 364 के अंतर्गत उद्यान/सार्वजनिक सुविधा हेतु आरक्षित है।

जिला कलेक्टर, ठाणे के आदेश दिनांक 24.10.2024 के अनुसार उक्त भूमि एवं तालाब का ताबा महानगरपालिका को दे दिया गया है। नगररचना विभाग की रिपोर्ट के अनुसार तालाब सहित उक्त क्षेत्र उद्यान विकास हेतु आरक्षित होने के कारण तालाब पर निजी कब्जा या वहिवाट अधिकार देने की मांग उचित नहीं पाई गई है।

आयोग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुशंसाएं माननीय आयोग द्वारा की गई हैं:

1. आयोग यह अनुशंसा करता है कि आयुक्त, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका यह स्पष्ट करें कि प्रश्नगत तालाब को विकास योजना में किस आधार पर आरक्षित किया गया है तथा आवेदक के अधिभोग अधिकार से संबंधित उपलब्ध अभिलेखों सहित विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करें।
2. आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि जिला कलेक्टर, ठाणे तथा आयुक्त, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका अगली निर्धारित सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्य एवं अभिलेख आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं. NCST/DEV-1259/MH/46/2023-RO-BH/RU-I

दिनांक: 23.02.2026

विषय: श्री शंकर शनिवार पागी को धोंड्ला तालाब का मालिकाना हक प्रदान करने हेतु श्री महादेव लक्ष्मण भूयाल, अध्यक्ष, स्थानिक आदिवासी रहिवासी सेवा मंडल, लक्ष्मी-चिराग नगर, पोखरण रोड नं.1, पो.जे.के.ग्राम, जिला- ठाणे (महाराष्ट्र) से प्राप्त दिनांक 12.01.2023 का अभ्यावेदन के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 23.02.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर व जिलाधिकारी, जिला-ठाणे, ठाणे पश्चिम, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	निलेश प्रकाश गौंड	अपर तहसीलदार मिरा भाईंदर	9503731175	
2.				
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	राजु के. [illegible]	[illegible]	8698850535	
2.	[illegible] ह. सांबरे	[illegible]	9521603495	
3.				
4.				